कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (गोपनीय), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा अयोग में पर्यवेक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, पर्यवेक्षक (गोपनीय), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पर्यवेक्षक (गोपनीय)	04* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100/-रू.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अधिवर्षिता की आयु से पूर्व पुनर्नियोजित अधिकारियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन पूर्व सैनिकों के लिए – प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या आमेलन** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी संगठन या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(रु.44900-142400) या तुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35400-112400) या तुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या कानूनी संगठन या स्वायत्त संगठन में स्ट्रॉग रूम प्रचालनों या परीक्षाओं के आयोजन की संवेदनशील सामग्री को हैंडल करने के बारे में तीन वर्ष का अनुभव। **पूर्व सैनिकों के लिए :** **प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनयुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। यदि उनका चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उस पद पर वास्तविक चयन होने से पूर्व रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति, सिविल

	पदों के प्रदिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन आधार पर की जाएगी। **टिप्पण-1 :** केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी संवर्ग-बाह्य पद पर उसी या किसी अन्य संगठन में या केन्द्र सरकार के किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अपर सचिव (प्रशासन, भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (प्रशासन, भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन, भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/02/2023-स्था.ख)]

राजेश शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, dated the 20th June, 2023

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Supervisor (Confidential) in the Union Public Service Commission, namely:–

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Supervisor (Confidential), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, E*x*-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Supervisor (Confidential)	4* (2023) *Subject to variation depending on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 8 in pay matrix (Rs.47600-151100/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(7)	**(8)**	**(9)**
Not applicable	Not applicable	Two years for officers re-employed before the age of superannuation

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
Deputation (including short-term contract) or Absorption For Ex-servicemen – Deputation or Re-employment.	**Deputation including short term contract or absorption** Officers under the Central Government or State Government or Union Territory Administration or recognised research institution or University or public sector undertaking or statutory organisation or autonomous organisation:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:–

	(i) Bachelor's Degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience relating to handling of sensitive materials in strong room operations or conduct of examinations in the Central Government or State Government or University or Government recognised research institution or statutory organisation or autonomous organisation. **For Ex-Servicemen :-** **Deputation/Re-employment :** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis upto the age of superannuation with reference to civil posts. **Note 1**: Only Central Government or State Government or Union Territory Administration Officers shall be eligible for absorption. **Note 2**: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3** : The maximum age for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :– (1.) Additional Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman (2.) Joint Secretary (In-charge of Administration), Union Public Service Commission - Member (3.) Joint Secretary (In-charge of Confidential Branch), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 39021/02/2023-Estt.B)]

RAJESH SHARMA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सा.का.नि.68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह ख सेवा नियम, 2009 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय